R. M. M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part - IInd
Paper-1st Family Law (Muslim law)

परस्पर सहमति द्वारा तलाक :-
विवाह के पक्षकारों में जैसे केवल पति द्वारा तलाक का प्रयोग किया जा सकता है, वैसे मिलकर भी ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। इस प्रकार के तलाक के दो भाग हैं :-
(i) खुला - खुला का अर्थ है बन्धन मुक्त करना। यदि पति-पत्नी में पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे नहीं चल रहे हैं तो पत्नी चाहे तो खुला तलाक मांग सकती है। वह प्रस्ताव रख सकती है कि वह मेहर छोड़ देगी, उसे तलाक दे दी जाय। परंतु यह पति के इच्छा पर निर्भर है कि वह मेहर के छूट के एवज में तलाक का प्रस्ताव स्वीकार करे अथवा नहीं। ऐसा ही प्रस्ताव पति भी रख सकता है; पति द्वारा खुला तलाक के प्रस्ताव को पत्नी की इच्छा है कि स्वीकार करे अथवा नहीं। यदि वह स्वीकार करती है तो इसका अर्थ हुआ कि उसने पति से मेहर पाने का अधिकार त्याग दिया। खुला का प्रतिफल कुछ भी हो सकता है, जैसे- मेहर पैसे सम्पत्ति इत्यादि।
यदि पत्नी खुला के लिए स्वीकार किया हुआ प्रतिफल का भुगतान करने

हो चुकती है तो भी तलाक अवैध नहीं बनता; चुकने पर भी पति आन्यत्र अधिकारों के पुनःस्थापन का वाद नहीं ला सकता। उसे दो में से केवल एक अधिकार मिलता है, (क) या तो वह मेहर से मुक्ति की मांग करे अथवा (ख) उस करार में निर्धारित रकम अथवा सम्पत्ति की मांग के लिए दावा पेश करे।

खुला तलाक पर अग्रनिर्णय मुन्शी फजलुल रहीम ब. लतीफ-उन-निस्सा का है। इस वाद में प्रतिपादित किया गया कि खुला तलाक में जैसे ही पति पत्नी को छोड़ता है तलाक उसी क्षण से पूरा हो जाता है। ऐसा कोई समय या कालांश नहीं है जिसमें खुला तलाक को रद्द किया जा सके।

मुल्ला खुला को आपसी सहमति द्वारा तलाक मानते हैं। पारस दीवान इस मत से असहमत हैं। उनका तर्क है कि खुला में अलग होने की इच्छा पत्नी की ओर उपजती है, वह पति को प्रतिफल का प्रस्ताव देकर सहमत करती है, इन पहलुओं को देखकर उसे पत्नी द्वारा तलाक कहना अधिक उचित होगा।

ताहिर मुहम्मद के अनुसार पाकिस्तान में न्यायालय इस मत के हैं कि खुला पत्नी का स्वतंत्र अधिकार है जो पति की सहमति पर आश्रित नहीं है। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय द्वारा खुला का सही निरूपण इस प्रकार है (PLD 1967 SC 97 0)

Scanned with CamScanner

इस (कुरा (कुरा II २२१, कुरान) ऐसे कोई शब्द नहीं है जो दर्शाते हैं कि पति की सहमति या इसके द्वारा तलाक आवश्यक है, जब पति पत्नी द्वारा खुला देकर अलग होने के अधिकार की प्रतिरोध करता है तब उस बात को तीसरे पक्ष द्वारा निर्णीत किया जाना चाहिए और इसका निर्णय काजी द्वारा किया जाना चाहिए। कुरान की इस आयात की इससे और कोई भी व्याख्या गलत होगी और उसके द्वारा पत्नी को जो यह अधिकार उपलब्ध कराया गया है उसके प्रभाव को छीनने वाली होगी।

पति-पत्नी दोनों स्वस्थ मस्तिष्क के तथा यौवनावस्था प्राप्त होने चाहिए। हनफी तथा शाफी शाखाएँ अवयस्क पत्नी के संरक्षक को उसकी ओर से खुला का करार करने की अनुमति देती हैं। किन्तु अवयस्क पति के संरक्षक को ऐसा अधिकार नहीं देती। शिया शाखा पत्नी के मन पर किसी तरह का दबाव लाया (खुला स्वीकार नहीं करती, जबकि सुन्नी शाखा को दबाव में प्राप्त खुला पर कोई आपत्ति नहीं है। शिया शाखा को सशर्त खुला मान्य नहीं है, सुन्नी को है। हनफी विधि पत्नी को खुला वापस लेने की अनुमति देती है। किन्तु यदि पति इस प्रकार के चयन का विकल्प रखता है तो भी खुला को अप्रतिसंहरणीय होने से रोक नहीं सकता और उसका चयन शून्य होगा। सभी शाखाएँ सहमत हैं कि खुला में पति

की स्पष्ट सहमति आवश्यक है जिस समय खुला का इकरारनामा बन रहा है, उसके पक्का होने से पहले पत्नी उस बैठक से उठ कर खुला को निरस्त कर सकती है। हनफी शारवा खुला को तलाक उल-बैन मानती है जो कि अप्रतिसंहरणीय तलाक है।

vii) मुबारत :—

यानी एक दूजे को मुक्ति देना। जहाँ पति-पत्नी की पारस्परिक सहमति से तलाक दिया जाता है उसे मुबारत कहते हैं।

"मुबारा" अथवा "मुबारात" अथवा मुबारात का आशय है एक दूसरे को शादी के बन्धन से मुक्त करना और ऐसा आपसी सहमति से करना। फैजी जैसा बतलाते हैं, खुला में पत्नी की ओर से अनुरोध किया जाता है कि उसे मुक्त किया जाय और पति कुछ प्रतिफल लेकर सहमत हो जाता है जो कि सामान्यतया मेहर की अदायगी से मुक्त होती है। मुबारात में दोनों अपनी खुशी से एक दूसरे से मुक्ति पाते हैं। सुन्नी पद्धति में मुबारात के लिए किसी औपचारिक शब्द पर जोर नहीं दिया गया है। प्रस्ताव किसी भी पक्ष से आ सकता है जब दोनों पक्ष मुबारात का करार सम्पन्न कर लेते हैं। सभी आपसी अधिकार एवं दायित्व समाप्त हो जाते हैं। शिया तथा सुन्नी दोनों पक्ष इसे तलाक मानते हैं।

Scanned with CamScanner